न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2017/00283 (283/2017)

राजासिंह पुत्र श्री करतार सिह पुत्र वीर सिह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजसिंह पुत्र लालसिंह पुत्र अर्जन सिंह
2. हरचरण सिह पुत्र मुन्शी सिंह
3. अमरजीत सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मुन्शी सिंह
4. छिन्द्रपाल कौर पुत्री मुन्शी सिह
5. गुड्डी पुत्री मुन्शी सिंह
6. मुखत्यार कौर पुत्री मुन्शी सिह
7. बलदेव सिंह पुत्र दयाल सिह (फौत)
   - 7/1 इकबाल सिह पुत्र बलदेव सिंह
   - 7/2 वीरा पुत्री बलदेव सिंह
   - 7/3 महेन्द्र कौर पुत्री बलदेव सिंह
8. सुखदेव सिंह (फौत)
   - 8/1 नरेन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
   - 8/2 कर्मजीत कौर पुत्री सुखदेव सिह
   - 8/3 परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह
   - 8/4 इन्द्रजीत कौर पुत्री सुखदेव सिह
   - 8/5 किरणपाल कौर पुत्री सुखदेव सिह
   - 8/6 छाटो उर्फ रणजीलत कौर पत्नी सुखदेव सिंह
9. चनण सिंह पुत्र गजन सिंह (फौत)
   - 9/1 मन्दर सिह पुत्र चनण सिंह
   - 9/2 काका सिह पुत्र चनण सिंह
   - 9/3 जोगेन्द्र सिंह पुत्र चनण सिंह
10. छगराज सिंह पुत्र गजन सिंह (फौत)
    - 10/1 गुरजण्टसिंह पुत्र छगराज सिंह
    - 10/2 लाभ सिह पुत्र छगराज सिंह
    - 10/3 गुरजोत सिह पुत्र नायब सिंह पुत्र छगराज सिंह
11. मीनो पुत्री गजन सिह
12. लाभसिंह पुत्र जगर सिंह
13. मंगल सिह पुत्र जगराज सिंह
14. बोहड़ सिंह पुत्र मल सिह पुत्र भाग सिह
15. मीना पुत्री भागसिंह
16. सरजीत कौर पुत्री भागसिह
17. नसीब कौर पुत्री भाग सिंह
18. सीतो पुत्री भागसिह
19. वीरपाल कौर पुत्री दलीप सिंह

जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

20. गुरदयाल कौर पुत्री दलीप सिंह
21. सुखपाल कौर पुत्री दलीप सिंह
22. जसवीर कौर पुत्री दलीप सिंह
23. जीत सिंह पुत्र जय सिंह (फौत)
    23/1 जगसीर सिंह
24. राजा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र मीत सिंह
25. सरणजीत सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र निधान सिंह
26. सरजीत सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र निधान सिंह (फौत)
    26/1 गुरलाल सिंह पुत्र सरजीत सिंह
27. गुरदीप सिंह पुत्र बुध सिह पुत्र निधान सिंह
28. जसपाल कौर बेवा लक्खा सिह
29. गुरदेव सिंह पुत्र सज्जन सिंह पुत्र धर्म सिंह
30. गुरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पुत्र लाल सिंह
31. वीर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र लाल सिंह
32. राजेन्द्र सिंह पुत्र जगमेल सिंह
33. तोखा सिह पुत्र जगमेल सिंह
34. सुखदेव कौर पुत्री जगमेल सिंह
35. सीतो पुत्री जगमेल सिंह
36. चूकी पुत्री जगमेल सिंह
37. राजपाल सिह पुत्र गुरदेव सिंह
38. महेन्द्र पुत्र गुरदेव सिह
39. मेहर सिह पुत्र वजीर सिंह

जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

40. जसवीर सिह पुत्र दलीप सिंह
41. गुरजण्ट सिह पुत्र दलीप सिह
42. बलविन्द्र सिह पुत्र भूप सिह पुत्र दलीप सिह
43. मोहर सिंह पुत्र लाल सिंह

जाति रामगढिया निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

44. बख्तावर सिंह पुत्र गजन सिंह (फौत)
    44/1 बलविन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह
    44/2 भूरी पुत्र बख्तावर सिंह
45. जलौर सिंह पुत्र गजन सिंह
    45/1 जसवीर सिह पुत्र जलौर सिह
    45/2 बलवीर सिह पुत्र जलौर सिंह
46. भगत सिंह पुत्र गजन सिह (फौत)
    45/1 भोला सिंह पुत्र भगत सिंह
    45/2 मलकीत सिह पुत्र भगत सिंह
    45/3 बिन्दी सिंह पुत्र भगत सिंह

जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

47. बोगड़ सिह पुत्र संत सिह पुत्र गजन सिंह
48. अन्तराम पुत्र हजारी
49. रघुवीर पुत्र सोहन लाल
50. डूंगरराम पुत्र रज्जीराम उर्फ राजाराम
51. प्रभुदयाल पुत्र रज्जीराम उर्फ राजाराम

जाति जट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

52. हरदयाल पुत्र रज्जीराम उर्फ राजाराम
53. अमीलाल पुत्र रज्जीराम उर्फ राजाराम
54. इन्द्राज पुत्र देवसीराम
55. कृष्णलाल पुत्र देवसीराम
56. सतपाल पुत्र सुरजाराम
57. शंकरलाल पुत्र सुरजाराम
58. रामकुमार पुत्र सुरजाराम
59. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुलतान

} जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

60. मन्दर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह पुत्र वीरसिंह
61. परमजीत कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र वीर सिंह
62. अंग्रेज कौर पुत्री श्री करतार सिंह पुत्र वीर सिंह
63. गुरतेज सिंह पुत्र श्री करतार सिंह पुत्र वीर सिंह

} जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

64. गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व0 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री करतार सिह पुत्र वीर सिंह
65. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2003 सहायक कलक्टर, संगरिया प्र0 संख्या 08/2003 बअनवानी लालसिंह आदि बनाम हरचरण सिंह आदि

श्री महेन्द्र सिह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, 2, 3
श्री सोमप्रकाश शर्मा रेस्पोडेण्ट संख्या 7/1
श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 स0 65

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक – 28.07.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में लालसिंह ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 में एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा इनके नाम से चक 4 एचआरपी, 1 एसटीपी, 4 डीएनजी, 3 एचआरपी, चक 1 एचआरपी, चक 2 एसटीपी, चक 3 डीएनजी आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसका वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा घराघरू बंटवारा कर रखा है इसी अनुसार घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 द्वारा राजीनामा पेश किया शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का पिता बतौर प्रतिवादी संख्या 35 पक्षकार था जि[illegible]जी तामील करवाई जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ताकि [illegible] कब्जा काश्त की आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपने [illegible] कार्यालय से कोई भी कर्मचारी सम्मन लेकर अपीलाण्ट के पिता [illegible] उसके अंगूठा निशानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाये गये हैं। प्रश्नगत भूमि का कभी भी घराघरू बंटवारा नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी द्वारा अपने हिस्सा से अधिक भूमि का बंटववारा करवा लिया है। विभिन्न खातों की हिस्सा कसी गलत दर्ज है ताकि गलत हिस्से में खातोंदारों के नाम दर्ज हिस्सा व कुल हिस्से के अनुपात के अनुसार खातेदारों का हिस्से की गणना करते हुए अपलाधीन निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलाण्ट ने कोई राजीनामा नहीं किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के आधार पर रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं।यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होत ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.06.2017 पेज 383, आरबीजे (13) 2006 पेज 400, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1156, आरआरडी 1994 पेज 21 व पेज 50, के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वर्ष 2003 में जरिये राजीनामा पारित की गई है। अपीलाण्ट ने 14 वर्ष के अधिक समय के विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया है। राजीनामा स्वयं करतारसिंह का है। सम्मन पर किसी अन्य व्यक्ति का अंगूठा है यह साबित नही किया है। प्रतिवादीगण की तामील विधि सम्मत तरीके से करवाई गई है। करतार सिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जीवनकाल में बावजूद जानकारी के आपत्ति जाहिर नहीं की है। ऐसी स्थिति में करतारसिंह द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को स्वीकार किया है। करतारसिंह के जीवनकाल में अनेक नामान्तकरण उनकी कृषि भूमि के संबंध में दर्ज करवाये गये थे। अपीलाण्ट ने भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाया है विभिन्न बैंकों से ऋण भी लिया है तथा बार बार अपना खाता व कृषि भूमि के संबंध में रिकार्ड की भलीभांति जानकारी होने के बावजूद भी अपीलाण्ट के पिता कातारसिह के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। अपीलाण्ट ने लालच के वशीभूत मिथ्या आधारों पर अपील पेश की है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सपीसी, एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019(3) डीएनजे (राज) पेज 1058, 2016 (1) डीएनजे (राज) पेज 201, 2015 (2) डीएनजे (राज) पेज 657, 2014(3) डीएनजे (राज) पेज 1132, सिविल अपील 400/2004 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.01.2004 की प्रति तथा सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील सं0 3961/2010 के निर्णय दिनांक 06.05.2020, एआईआर 1970 पेज 211 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संया 7/1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने लगभग 14 वर्ष बाद अपील पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का समुचित कारण नही बताया है। अपीलाधीन निर्णय का करतारसिंह को ज्ञान रहा है। उसने अपने जीवनकाल में कभी भी इसे प्रश्नगत नहीं किया है। अपीलाण्ट ने यह अपील मिथ्या आधारों पर पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। आरबीजे (26) 2019 पेज 276, 2016 (1)डीएनजे(राज) पेज 201, आरबीजे [illegible]8 पेज 356 आरबीजे (26) 2019 पेज 20 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट ने यह अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात पेश की है। चूंकि अपीलाण्ट के पिता कारतार सिह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का ज्ञान अपीलाण्ट को रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.06.2017 पेज संख्या 382 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है। यह प्रकरण सह खातेदारी की भूमि के बंटवारे बाबत है यदि अपीलार्थी को सनवाई का अवसर प्रदान नही किया ता उसके हितों पर कुठाराघात होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. करतार सिंह सहखातेदार था उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट करतारसिंह की पुत्री है और अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट के हक हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है।
9. जहां तक गुणागुण का प्रश्न है प्रकरण सह खातेदारी की भूमि के बंटवारे बाबत है। करतारसिंह अथवा उसके वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपलाधीन निर्णय पारित किया गया है। यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तो उसके हितों पर कुठाराघात होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। करतारसिह के हक हिस्से व कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर करतारसिंह के वारिसान का ही हक हिस्सा है जिन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपालधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया के निर्णय एवं डिक्री 06.03.2003 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 28.07.21 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/21

(करतारसिह पूनियॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested